समक्ष एम.एम. कुमार और एम.एम.एस. बेदी, जे जे.

रुबेश कुमार और अन्य, – ***याचिकाकर्ता***

बनाम

हरियाणा की स्थिति और अन्य, – ***उत्तरदाताओं***

सी डब्ल्यू पी संख्या 13633 साल ***2005***

22 नवंबर, 2006

भारत का संविधान, 1950 – अनुछेद *14, 16 और 226 – हरियाणा प्राथमिक शिक्षा (समूह C) जिला कैडर सेवा नियम, 1994 – हरियाणा ज़िला* परिषद *प्राथमिक शिक्षा सेवा नियम, 2003 – पंजाब राज्य द्वारा 30 मार्च, 2001 और 10 अगस्त, 2005 को अधिसूचनाएं जारी की गईं --- सरकार प्राथमिक स्कूलों* के *कामकाज और नियंत्रण* को ज़िला परसिहड़/ *एम.सी. - जे.बी.टी शिक्षक* को *सौंपती* हुई जो पहले से *ही शिक्षा विभाग में काम कर रहे थे और* उन्हे *ज़िला परिषद/* एम.सी. *को हस्तांतरित किया जो 1994 के नियमों द्वारा शासित थे – जिला द्वारा जेबीटी शिक्षकों की शासित परिषद की* 2003 *के नियमों अनुसार भर्ती की गई – सरकार फिर से निहित शिक्षा विभाग पर कार्यात्मक नियंत्रण और कुछ कठिन कार्य थोपना के अनुसरण में जिला परिषदों द्वारा भर्ती किए गए शिक्षकों पर* 2003 *के नियमों के अनुसार शर्तें – उसे चुनौती– योग्यता,* चयन *का तरीका* 1994 *और* 2003 *के नियमों में समान है– सरकारी जेबीटी शिक्षक और जिला द्वारा* 2003 *के नियमों के तहत भर्ती किए गए शिक्षक दोनों परिषदें विनिमेय और कार्यशील में अपने कर्तव्य में समान थे – उनके बीच वरिष्ठता के संबंध में कोई विवाद नहीं था – भर्ती किए गए शिक्षकों पर अंग्रेजी के साथ स्नातक होने की शर्त बिना सरकार* से *आवेदन* करे- *जेबीटी शिक्षकों* के लिए यह *उचित नहीं – ज़िला पैरिशैड जेबीटी शिक्षकों पर विचार करने के लिए सरकारी शिक्षकों की तुलना में एक अलग वर्ग और उन्हें लेने के लिए उन्हें अलग तरह से व्यवहार करके*

रुबेश कुमार और अन्य *बनाम* हरियाणा की स्थिति और अन्य

(समक्ष एम.एम. कुमार और एम.एम.एस. बेदी, जे जे.)

शत्रुतापूर्ण भेदभाव अनुच्छेद 14 और 16(1) के तहत सुसंगत नहीं है – याचिका मंजूर, घोषणा 10 *अगस्त,* 2005 *की अधिसूचना द्वारा याचिकाकर्ताओं पर शर्तें थोपना संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।*

निर्णय, हरियाणा प्राथमिक शिक्षा (समूह) का एक अवलोकन 'सी) जिला कैडर सेवा नियम, 1994 और हरियाणा जिला परिषद प्राथमिक शिक्षा सेवा नियम, 2003 इंगित करेंगे कि नियमों के दोनों सेट योग और सार में समान हैं। नियमों के दोनों सेटों के तहत जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता समान है और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से उनकी नियुक्ति का तरीका भी समान है। उनके वेतनमान के संबंध में एक महत्वपूर्ण अंतर है। जेबीटी शिक्षकों पर 2003 के नियमों के तहत लागू जिला परिषद/नगरपालिका समितियों में, एक जेबीटी शिक्षक को दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है और परिवीक्षा के पहले वर्ष के दौरान उसे 5,000 रुपये प्रति माह और दूसरे वर्ष के लिए 6,000 प्रति माह का समेकित वेतन दिया जाता है। इसके बाद, उन्हें 4500- 7000 प्रति माह का समान वेतनमान रुपये मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए, पदार्थ में और सार में सरकारी जेबीटी शिक्षक और जिला परिषद जेबीटी शिक्षक उनकी योग्यता, नियुक्ति के तरीके और वेतनमान में किसी भी महत्वपूर्ण अंतर के बिना लगभग समान हैं।

(पैरा 15)

आगे निर्णीत, याचिकाकर्ताओं को 30 मार्च, 2001 की अधिसूचना में की गई घोषणा के आधार पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जिला परिषद में नियुक्त किया गया था जिसके तहत सरकारी जेबीटी शिक्षकों का गठन कम होते कैडर जैसा कि कक्षा V के अवलोकन से स्पष्ट है, अधिसूचना के नियम और शर्तों के अनुसार किया जाना था। पूर्वकथित अधिसूचना जिस में जेबीटी शिक्षकों को घटता कैडर घोषित किया गया था, उसे 10 अगस्त, 2005 की अधिसूचना द्वारा रद्द कर दिया गया जैसा कि अधिसूचना के खंड 3 से स्पष्ट है। दूसरे शब्दों में, जिला परिषदों के कार्यकाल के दौरान सरकारी जेबीटी शिक्षकों के घटते कैडर में जो रिक्तियां आई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्राथमिक विद्यालयों में इन रिक्त पदों पर प्रभारियों की 2003 के नियमों के तहत नियुक्ति की जाएगी। उपरोक्त 10 अगस्त, 2005 की अधिसूचना के आधार पर घटते कैडर को अब 'रद्द' कर दिया गया है। यह स्वीकृत स्थिति है कि सरकारी जेबीटी शिक्षक और 2003

के नियमों के तहत जिला परिषदों द्वारा भर्ती किए गए शिक्षक दोनों विनिमेय थे और समान कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। इसलिए, यह कि जिला परिषद जेबीटी शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों से अलग वर्ग मानने का प्रावधान और सरकारी शिक्षकों की तुलना में उनके साथ अलग व्यवहार करके शत्रुतापूर्ण भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा।

(पैरा 16)

आगे यह भी कहा गया कि जिला परिषद जेबीटी शिक्षक और सरकारी जेबीटी शिक्षक में वरिष्ठता को लेकर कोई विवाद नहीं हो सकता, चूँकि पूर्व को 2004 में सेवा में शामिल किया गया था। जबकि सरकारी जेबीटी शिक्षकों को अधिसूचना दिनांक 30 मार्च, 2001 जारी होने से पहले विभिन्न दिनकों पर उनकी सेवाएँ जिला परिषदों को हस्तांतरित करने के लिए, सेवा में शामिल किया गया था।

(पैरा 17)

आगे निर्णीत, कि जब 30 मार्च, 2001 को प्राथमिक विद्यालयों को जिला परिषदों में स्थानांतरित किया गया था, तो सरकारी जेबीटी शिक्षकों की सेवा शर्तों को 30 मार्च, 2001 की अधिसूचना द्वारा संरक्षित किया गया था, क्योंकि उन सरकारी शिक्षकों की भर्ती 1994 के नियमों के तहत की गई थी। हालाँकि, उपरोक्त अधिसूचना को 'रद्द' करते हुए, सरकार उन कारणों से जिला परिषद जेबीटी शिक्षकों को कोई सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। सरकारी जेबीटी शिक्षक और जिला परिषद जेबीटी शिक्षक कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिखाते हैं, जिससे एक के विरुद्ध दूसरे से अलग होने की आवश्यकता हो। इसलिए, उन्हें नए प्रवेशकों की स्थिति में रखना और उन्हे जिला परिषद में प्रदान की गई पिछली सेवा का लाभ न देना जारी नहीं रखा जा सकता है।

(पैरा 20)

आगे आयोजित, अनुच्छेद 14 और 16(1) के आधार पर, सरकारी जेबीटी शिक्षकों पर इसे लागू किए बिना याचिकाकर्ताओं पर अंग्रेजी के साथ स्नातक उत्तीर्ण करने की शर्त लगाना उचित नहीं होगा। यह मानना सामान्य है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत, वर्गीकरण को उचित बनाने के

लिए दो शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है, अर्थात् (1) वर्गीकरण को एक समझदार अंतर पर स्थापित किया जाना चाहिए जो एक साथ समूहीकृत व्यक्तियों या चीजों को समूह से बाहर कर दूसरों से अलग करता है। और (2) इस तरह के अधिनियम द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु के लिए अंतर का तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। वर्गीकरण को केवल एक स्पष्ट अंतर पर कायम रखा जा सकता है कि जिला परिषद जेबीटी शिक्षक और सरकारी जेबीटी शिक्षक दो अलग-अलग संवर्गों से संबंधित हैं। हालाँकि, उस भ्रांति को हमने पहले ही निष्कर्षों को दर्ज करके स्पष्ट कर दिया है कि वास्तव में अलग-अलग संवर्गों के तहत जेबीटी शिक्षकों के दोनों समूहों की पहचान करना गलत है, जो एक ही हैं।

(पैरा 22)

राम कुमार मलिक, अधिवक्ता.
डी.एस. पटवालिया, अधिवक्ता,
अनुराग गोयल, अधिवक्ता,
दीपक बाल्यान, अधिवक्ता,
जगबीर मलिक, अधिवक्ता,
एल.आर. नंदल, अधिवक्ता,
मिंदरजीत यादव, अधिवक्ता,
प्रवीण भड़ू, अधिवक्ता,
अलका चत्रथ, अधिवक्ता,
प्रोमिला नैन, अधिवक्ता,
रूपिंदर के. थिंड, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता के लिए.*
हरीश राथे, सीनियर. डीएजी, हरियाणा, *उत्तरदाताओं के लिए.*

निर्णय

एम.एम. कुमार, माननीय न्यायधीश (मौखिक)

(1) यह निर्णय तत्काल याचिका का निपटान करेगा और इस निर्णय के अंत में दर्ज किए गए फुट नोट के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर अन्य 19 सिविल रिट

याचिकाओं का भी निपटान करेगा। तथ्य सी डब्ल्यू पी संख्या 13633 साल 2005 से संदर्भित किए जा रहे है। याचिकाकर्ता जेबीटी के शिक्षक हैं जो ज़िला परिषद द्वारा प्रशासित स्कूलों में काम कर रहे हैं। ये स्कूल 30 मार्च, 2001 से पहले राज्य सरकार के पास थे जिसके बाद इन स्कूलों को ज़िला परशाद और नगर समितियाँ में स्थानांतरित कर दिया गया। उत्तरदाताओं ने फिर से 10 अगस्त, 2005 (पी -5) को एक अधिसूचना जारी की जिसके तहत इन स्कूलों को प्रतिवादी राज्य के शिक्षा विभाग को वापिस स्थानांतरित कर दीया गया। 10 अगस्त, 2005 की अधिसूचना ने याचिकाकर्ता पर कुछ महत्वपूर्ण शर्तें लगाई, जिन्हें पदभार संभालने के बाद परिषद ज़िला द्वारा 30 मार्च, 2001 को भर्ती और नियुक्त किया गया था। यह प्रार्थना की गई है कि 10 अगस्त, 2005 (पी-5) की अधिसूचना को उस हद तक रद्द कर दिया जाए, जिसमें याचिकाकर्ताओं पर कठिन शर्तें लगाई गई हैं, जैसे (ए) पांच साल के भीतर अपना स्नातक पूरा करना; (बी) शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रस्तावित परीक्षा उत्तीर्ण करें; और (सी) याचिकाकर्ताओं की दूसरी शर्त को भी चुनौती दी गई है कि जिला परिषदों में प्रदान की गई उनकी सेवा को कोई महत्व दिए बिना शिक्षा विभाग में नए प्रवेशकर्ता माने जाएंगे।

(2) विवाद को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए कुछ और तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। 30 मार्च, 2001 से पहले, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों / जेबीटी शिक्षकों की केवल एक श्रेणी थी और वे 'हरियाणा प्राथमिक शिक्षा (समूह 'सी') जिला कैडर सेवा नियम, 1994 (संक्षिप्तता के लिए '1994 नियम') नामक वैधानिक नियमों द्वारा शासित होते थे। संपूर्ण प्राथमिक विभाग, शिक्षा विभाग, हरियाणा के प्रशासनिक नियंत्रण में था। हालाँकि, 30 मार्च, 2001 को सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का कामकाज और नियंत्रण जिला परिषदों और नगर समितियों को सौंप दिया गया था। तदनुसार, 30 मार्च, 2001 (पी-1) की अधिसूचना जारी करके सभी तत्कालीन मौजूदा जेबीटी शिक्षकों की सेवाएं

संबंधित जिला परिषदों और नगर समितियों को स्थानांतरित कर दी गईं। उपरोक्त कदम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 21 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 66-ए के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 243 जी और 243 डब्ल्यू के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था। अधिसूचना के अनुसार कामकाज और हरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का नियंत्रण संबंधित जिला परिषदों को स्थानांतरित कर दिया गया था, जबकि शहरी क्षेत्र के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर संबंधित नगर समितियों को स्थानांतरित कर दिया गया था। उपरोक्त स्थानांतरण विभिन्न नियमों और शर्तों के अधीन था। कम से कम XIII शर्तें लगाई गई थीं, लेकिन तत्काल याचिका के प्रयोजनों के लिए, शर्त संख्या (iii), (iv), (v), (vii), (viii), (ix), (x) और (xi) प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार हैं:-

(iii) अचल/चल संपत्ति और देनदारियां जिला परिषदों/नगर पालिकाएँ पहली बार में पांच साल की अवधि के लिए निहित होंगी को और उसके बाद इन प्राधिकरणों में नियमित स्थानांतरण के लिए विचार किया जा सकता है। आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद संपत्तियों का निहितीकरण/हस्तांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। सरकार के पास संपत्ति को फिर से शुरू करने का अंतर्निहित अधिकार होगा। जिला परिषदों/नगर पालिकाओं के कब्जे के दौरान संपत्ति में जोड़े गए परिवर्धन/मूल्यवर्धन के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। संपत्ति में रखरखाव/जोड़न जिला परिषदों/नगर पालिकाओं द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार निहित संपत्ति का उपयोग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(iv) मौजूदा शिक्षकों की सेवाएं, जिला परिषद/नगर पालिकाओं के निपटान में रखी गई हैं। मौजूदा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और नियमों की रक्षा

को संरक्षित रखा जाएगा। उन्हें सरकारी कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकार्य वेतन और अन्य भत्ते मिलते रहेंगे।

(v) जिला परिषद/नगर पालिकाओं में इस तरह के स्थानांतरण पर शिक्षकों का मौजूदा कैडर समाप्त होने वाला कैडर बन जाएगा, जिला परिषदों/नगर पालिकाओं में संस्थानों के स्थानांतरण के बाद सरकार कोई नियुक्ति नहीं करेगी। सेवानिवृत्ति/पदोन्नति/अन्य से उत्पन्न रिक्तियां पदों के सृजन आदि जैसी संभावनाओं को समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार जिला परिषदों/नगर पालिकाओं द्वारा पूरा किया जाएगा । ऐसे नए शिक्षकों की ताकत से नई जिला परिषद/ नगर पालिका संवर्ग होंगी जिसके लिए वे सरकार की मंजूरी से अपने नियम बनाएंगे।

Xxxx xxxx xxxx xxxx xxx

Xxx xxx xxx xxx

(vii) खंड शिक्षा अधिकारियों और जिला प्राथमिक के कार्यालय शिक्षा अधिकारी पहले की तरह कार्य करते रहेंगे, तथापि, उन्हें जिला परिषद/नगर पालिकाओं को सौंपे जाने वाले स्कूली शिक्षा के संबंध में कार्यों के निर्वहन के लिए जिला परिषद/नगर पालिकाओं के तहत पदेन प्राधिकारी घोषित किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए वे जिला परिषद/नगर पालिकाओं को जवाबदेह होंगे।

(viii) अब जिला परिषदें/ नगर पालिकाएँ सरकार की मंजूरी के बिना नये स्कूल खोलेंगी।

(ix) राज्य/केन्द्रीय सहायता प्राप्त/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत धनराशि सरकार द्वारा जिला परिषदों/नगर पालिकाओं को प्रदान की जाएगी।

(x) जिला परिषदों/नगर पालिकाओं द्वारा नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों को वेतन के वितरण के लिए शत-प्रतिशत वित्त पोषण सहायता अनुदान के रूप में सरकार द्वारा दिया जाएगा।

(xi) ऋण, अग्रिम, पेंशन आदि से संबंधित मामले मौजूदा शिक्षक सरकार के पास बने रहेंगे।"

(3) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि व्यावहारिक रूप से कार्यात्मक नियंत्रण ज़िला पैरिशैड्स / मुनिपाल समितियों के हाथों में अचल संपत्ति और देनदारियां देकर दे दिया गया था। यह व्यवस्था पांच साल की अवधि के लिए की गई थी और तत्कालीन मौजूदा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को संरक्षित किया गया था। यह निर्धारित किया गया था कि उन्हें समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य वेतन/अन्य भत्ते मिलते रहेंगे। आगे यह निर्धारित किया गया था कि स्थानांतरण की तिथि पर मौजूद शिक्षक का कैडर घटता हुआ कैडर बन जाएगा और राज्य सरकार को 30 मार्च, 2001 को स्थानांतरण के बाद कोई नियुक्ति नहीं करनी थी। हालांकि, सेवानिवृत्ति से उत्पन्न होने वाली रिक्तियां/ प्रमोशन/ पदों के सृजन सहित अन्य संभावनाओं को सरकार द्वारा जारी की जाने वाली गाइड लाइन के अनुसार जिला परिषदों/नगर पालिकाओं द्वारा भरा जाना था। यह भी स्पष्ट किया गया कि ऐसी नई भर्तियों को जिला परिषद/नगर पालिका कैडर का गठन करना था, जिसके लिए उन्हें सरकार की मंजूरी के साथ अपने स्वयं के नियम बनाने थे। सरकार को जिला परिषदों/नगर पालिकाओं द्वारा नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों को अनुदान सहायता के रूप में वेतन के वितरण के लिए 100% धनराशि प्रदान करनी थी। यह उल्लेख करना भी उचित है कि प्रतिवादी राज्य के विकास और पंचायत विभाग ने जेबीटी शिक्षकों के लिए नियम बनाए, जिन्हें "हरियाणा जिला परिषद प्राथमिक शिक्षा सेवा नियम, 2003" (संक्षिप्तता के लिए, '2003 नियम) के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, नगर पालिकाओं द्वारा भर्ती किए जाने वाले जेबीटी शिक्षकों के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 30 मार्च, 2001 की अधिसूचना द्वारा जेबीटी शिक्षकों की दो श्रेणियों की परिकल्पना की गई है, अर्थात्, (ए) वे जेबीटी शिक्षक जो राज्य के शिक्षा विभाग में कार्यरत थे और थे जिला परिषदों/नगर पालिकाओं को स्थानांतरित कर दिया गया था

और उन्हें 1994 के नियमों द्वारा शासित किया जाना था; और (बी) वे जेबीटी शिक्षक जिन्हें बाद में जिला परिषदों द्वारा भर्ती किया गया था। जिला परिषदों द्वारा भर्ती किए गए शिक्षकों को 2003 के नियमों द्वारा शासित किया जाना था। यह उल्लेख करना उचित होगा कि सभी याचिकाओं में, याचिकाकर्ता जेबीटी शिक्षकों की उपरोक्त श्रेणी (बी) से संबंधित हैं क्योंकि उन्हें 2003 के नियमों के अनुसार जिला परिषदों द्वारा चयनित और नियुक्त किया गया है। यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि श्रेणी (बी) से संबंधित जेबीटी शिक्षकों के लिए 2003 के नियमों में निर्धारित सभी योग्यताएं वही हैं जो 1994 के नियमों द्वारा निर्धारित की गई थीं और यहां तक कि उनके चयन का तरीका भी वही है। तदनुसार, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने जुलाई/दिसंबर, 2004 में जिला परिषदों की मांग पर जेबीटी शिक्षकों के पदों का विज्ञापन दिया। जो याचिकाकर्ता पात्र थे, उन्होंने आवेदन किया, चयन किया और आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर उन्हें नियमित आधार पर नियुक्त किया गया। वे नियमित आधार पर काम करते रहे। ऐसे एक नियुक्ति पत्र की प्रति अनुबंध पी-3 के रूप में रिकॉर्ड में रखी गई है।

(4) 10 अगस्त, 2005 को, प्रतिवादी राज्य ने एक और अधिसूचना जारी की और 30 मार्च, 2001 की पूर्व अधिसूचना को प्रतिवादी राज्य द्वारा तत्काल 'रद्द' कर दिया गया। तदनुसार, सभी चल और अचल संपत्तियां जो 30 मार्च, 2001 की अधिसूचना के आधार पर जिला परिषद/नगर पालिकाओं में निहित थीं, उन्हें वापिस शिक्षा विभाग में निहित किया जाना था। वह स्पष्ट किया था कि इस दौरान अर्जित की गई सभी संपत्तियां या देनदारियां इन स्कूलों का कार्यात्मक नियंत्रण, तत्काल प्रभाव से 10 अगस्त, 2005 को शिक्षा में निहित होना था। अधिसूचना में कई अन्य शर्तें लगाई गई हैं लेकिन प्रासंगिक वर्तमान याचिका में उठाए गए विवाद पर निर्णय लेने के लिए शर्तें एक इस प्रकार है: -

"3. शिक्षा विभाग के जेबीटी शिक्षकों की सेवाएं जिनका निपटान जिला परिषदों/ नगर पालिकाओं द्वारा रखा गया था, उन्हे शिक्षा विभाग को

वापिस कर दिया जाएगा और कैडर को ह्रासमान कैडर घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया गया है।

4. विकास एवं पंचायत विभाग/जिला परिषदों द्वारा भर्ती किए गए सभी जेबीटी शिक्षकों को शिक्षा विभाग के जेबीटी शिक्षकों के कैडर में निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन विलय किया जाएगा और और इस तरह के जेबीटी शिक्षक इस हद तक एक हलफनामा देते हैं कि इस तरह नियम और शर्तें उन्हें स्वीकार्य हैं. शर्तें और जिन शर्तों पर जेबीटी शिक्षकों का शिक्षा विभाग में विलय किया जाएगा, वे इस प्रकार हैं: -

(i) वे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जो 10+2 हैं और स्नातक नहीं हैं (जो वर्तमान में योग्यता निर्धारित है), उन्हें 5 वर्ष की अवधि के भीतर स्नातक पूरा करना चाहिए। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

(ii) उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी सेवाएं उत्तरदायी होंगी और उसके बाद उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा।

Xxx xxx xxx xxx

Xxx xxx xxx xxx

(iv) ऐसे शिक्षक उपरोक्त शर्तों (ii),(iii) और (iv) को पूरा करने के बाद उन्हें अधिसूचना जारी होने की तारीख से शिक्षा विभाग में नए प्रवेशी के रूप में माना जाएगा और सरकार और शासित द्वारा भर्ती किए गए शिक्षक हरियाणा प्राथमिक शिक्षा (ग्रुप-सी) जिला कैडर सेवा नियम, 1994 द्वारा लागू वेतनमान में रखा जाएगा।

(5) इन सभी याचिकाओं में, क्रम संख्या 4(i), (ii) और (vi) की शर्तें संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) में निहित समानता खंड के उल्लंघन के मुख्य आधार पर चुनौती का विषय हैं। यह दावा किया गया है कि इन खंडों ने याचिकाकर्ताओं को इन कठिन शर्तों के अधीन करके

शत्रुतापूर्ण भेदभाव के उद्देश्यों के लिए एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बना दिया है।

(6) उत्तरदाताओं द्वारा अपने लिखित बयान में प्रदान किया गया औचित्य यह है कि याचिकाकर्ता जिला परिषदों/नगर पालिकाओं के कैडर से संबंधित हैं और वैधानिक नियमों, 2003 द्वारा शासित हैं। तदनुसार, उनका कैडर 1994 नियम द्वारा बनाये गये कैडर से भिन्न है। जिन सरकारी शिक्षकों को 30 मार्च, 2001 की अधिसूचना (पी-1) के तहत जिला परिषदों में स्थानांतरित किया गया है, उनकी सेवा शर्तों के संबंध में सुरक्षा दी गई और उन्हें समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य वेतन और अन्य भत्ते मिलते रहेंगे। यह आगे बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2000-2001 से, कक्षा-1 के स्तर पर अंग्रेजी विषय शुरू किया गया था और यह महसूस किया गया कि जेबीटी पाठ्यक्रम के साथ 10+2 की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले जेबीटी शिक्षक इसका सामना करने में सक्षम नहीं थे, तदनुसार अंग्रेजी भाषा को ठीक से पढ़ने के लिए 22 जुलाई, 2005 को एक संशोधन शामिल किया गया और उसमें जेबीटी शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता को संशोधित किया गया था। संशोधन के अनुसार 10+2 की योग्यता को दो साल के जेबीटी कोर्स या शिक्षा में डिप्लोमा के साथ एक वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ स्नातक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अधिसूचना की एक प्रति अनुलग्नक आर-1 के रूप में रिकॉर्ड पर रखी गई है। 22 जुलाई, 2005 की अधिसूचना द्वारा संशोधित, 1994 के नियमों द्वारा परिकल्पित जेबीटी शिक्षक के कैडर के दायरे में आने वाले किसी भी व्यक्ति से सभी योग्यताओं का उत्तर देने की उम्मीद की जाती है। यह भी बताया गया है कि प्रतिवादी राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा का प्रावधान करने वाली शर्त संख्या (ii) को 14 अक्टूबर, 2005 को अधिसूचना (आर-III) जारी करके वापस ले लिया गया है और इसलिए, शर्त (ii) को दी गई चुनौती इन याचिकाओं में जीवित नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को 5,000 या 6,000 प्रति माह

रुपये का निश्चित वेतन मिल रहा था और सरकारी शिक्षकों के कैडर में आने से उन्हें सरकारी शिक्षक के लिए स्वीकार्य नियमित वेतन मिलना था। उस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि 2003 के नियमों के तहत, याचिकाकर्ता परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 4,500- 7,000 रुपये के नियमित वेतनमान के हकदार बन गए थे। 2003 के नियमों के नियम 13 के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को पहले वर्ष के लिए 5,000 रुपये प्रति माह और दूसरे वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए 6,000 प्रति माह के समेकित वेतन पर रहना था। इसके बाद, वे 1994 के नियमों के तहत सरकारी शिक्षकों के लिए स्वीकार्य 4,500- 7,000 रुपये के नियमित वेतनमान के हकदार बन गए।

(7) श्री राम कुमार मलिक, श्री डी.एस. पटवालिया, सुश्री अलका चतरथ, श्री जगबीर मलिक और श्री अनुराग गोयल, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ता उसी प्रकृति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे जैसा कि 30 मार्च, 2001 से 10 अगस्त, 2005 तक सरकारी जेबीटी शिक्षकों द्वारा किया जा रहा था। विद्वान वकीलों के अनुसार याचिकाकर्ताओं की भर्ती भी उसी प्रक्रिया द्वारा की गई है जो जेबीटी शिक्षकों के चयन और नियुक्ति के लिए अपनाई गई थी, जिन्हें 1994 के नियमों, अर्थात् हरियाणा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के लिए योग्यताएँ जेबीटी शिक्षकों के पद 1994 के नियमों के तहत प्रदान किए गए सरकारी शिक्षकों पर लागू और 2003 के नियमों द्वारा प्रदान किए गए नियम जो याचिकाकर्ताओं पर लागू थे, 22 जुलाई, 2005 (आर-1) को किए गए संशोधन की तारीख तक समान थे। यह किया गया है इस बात पर जोर दिया गया कि यदि छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाने का प्रशंसनीय उद्देश्य पांच साल के भीतर अंग्रेजी के साथ स्नातक योग्यता प्राप्त करके का लक्ष्य हासिल करना है तो, ऐसा प्रावधान याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ सरकारी जेबीटी शिक्षकों को भी समान रूप से लागू करना होगा। याचिकाकर्ताओं को शत्रुतापूर्ण भेदभाव के लिए

उठाया गया है क्योंकि प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य, जेबीटी शिक्षकों के दोनों वर्गों के बीच सामान्य होगा और वे उस उद्देश्य के लिए एक वर्ग का गठन करेंगे। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी राज्य ने, दिनांक 10 अगस्त, 2005 की अधिसूचना के माध्यम से, अपनी पिछली अधिसूचना दिनांक 30 मार्च, 2001 (पी-1) को रद्द कर दिया है, जिसमें सरकार को दी जाने वाली जेबीटी शिक्षक की घटती देखभाल की स्थिति को अलग करने का खंड शामिल है। तर्क यह प्रतीत होता है कि यदि 2001 में इन शिक्षकों के स्थानांतरण के समय 1000 शिक्षकों का कैडर था, तो सेवानिवृत्ति, समाप्ति और पदोन्नति आदि के कारण उपलब्ध होने वाले पदों को भरकर घटते कैडर की भरपाई की गई है और इसलिए वे कैडर का हिस्सा बने रहेंगे और याचिकाकर्ताओं को ऐसे कैडर पदों पर नियुक्त माना जाएगा। इससे पता चलेगा कि याचिकाकर्ता एक ही वर्ग के हैं जिन सरकारी शिक्षकों पर कोई कठिन शर्ते नहीं थोपी गई है।

(8) तब यह प्रस्तुत किया गया था कि एक बार सरकारी जे.बी.टी. शिक्षक 1994 के नियमों के तहत कार्य करने वालों को जिला परिषदों में स्थानांतरित कर दिया गया तो 22 जुलाई, 2005 को उन्हें घटते कैडर में घोषित करके संशोधन करने की शायद ही कोई आवश्यकता थी क्योंकि वह संशोधन किसी भी सरकारी जेबीटी शिक्षक पर लागू नहीं होना था क्योंकि वे सभी पहले ही जिला परिषदों/नगर पालिकाओं में जा चुके थे और उनके कैडर को घटते कैडर के रूप में घोषित किया गया था। इसमें जोर दिया गया है कि संशोधन शक्ति के व्यापक अभ्यास का परिणाम है और वही बनाया गया था जहां जेबीटी शिक्षकों को शिक्षा में फिर से स्थानांतरित करने की प्रत्याशा में विभाग जो पहले ज़िला परिषदों पैरिशड्स को हस्तांतरित किया गया था।

(9) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दी गई अन्य दलील यह है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जिला परिषदों को प्रदान की गई सेवा

सरकारी शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के समान हैं तथा वरिष्ठता, वृद्धि और वेतन निर्धारण करने सहित सभी प्रस्तावों पर विचार करने के पात्र होंगी। वे उनकी प्रस्तुति के समर्थन में करतार सिंह और अन्य बनाम पीयू एन जेए बी[1] राज्य के मामले में पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया है।

(10) हालाँकि, राज्य के विद्वान वकील श्री हरीश राठी ने लिखित बयान में दर्शाए अनुसार प्रतिवादी राज्य के रुख का समर्थन किया है। विद्वान वकील के अनुसार, अंग्रेज भाषा को एक विषय के रूप में शैक्षणिक सत्र 2000-2001 से कक्षा-1 और आगे के छात्रों के लिए शुरू किया गया है से और यह देखा गया है कि 10+2 की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले जेबीटी शिक्षक जेबीटी कोर्स के साथ छोटे-छोटे बच्चों को अंग्रेजी भाषा- ठीक से नहीं सिखा पा रहे है। यह अनुभव किया गया कि जो छात्र यहां से प्राथमिक स्तर पर गुजर रहे थे, वे ठीक से अंग्रेजी पढ़ या लिख नहीं पाते थे। उन्होनें इस बात पर जोर दिया है कि बदले हुए परिदृश्य में शिक्षकों से बच्चों में बहुआयामी विकास लाने की अपेक्षा की गई है और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता को बदलने की आवश्यकता महसूस की गई और परिणामस्वरूप 22 जुलाई, 2005 को 1994 के नियमों के तहत जेबीटी शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किया गया और उनके स्थान पर यह अनिवार्य कर दिया गया कि अंग्रेजी के साथ स्नातक एक वैकल्पिक/वैकल्पिक विषय दो साल का जेबीटी कोर्स या शिक्षा में डिप्लोमा के रूप में होना चाहिए। । यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के हितों को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है और उन्हें स्नातक उपाधि प्राप्त करने के लिए पांच साल का समय दिया गया है।

(11) श्री हरीश राठी ने तब वह शर्त प्रस्तुत की कि दिनांक 10 अगस्त, 2005 की अधिसूचना में क्रमांक 4(vi) (आर-II) लगाया गया

[1] 1989 (4) SLR 340

याचिकाकर्ताओं पर अनिवार्य रूप इस तथ्य से उपजा है कि 1994 की नियमावली के अनुसार याचिकाकर्ताओं को सरकारी जेबीटी शिक्षकों के कैडर में समाहित किया जाना है और एक बार आमेलित किए जाने के बाद उन्हें उन सभी योग्यताओं का उत्तर देना होगा जो उनके अवशोषण की तिथि पर मौजूद हैं। विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता सरकारी जेबीटी शिक्षकों के साथ एक वर्ग का गठन नहीं करते हैं क्योंकि दोनों दो अलग-अलग संवर्गों से संबंधित हैं। सरकारी जेबीटी शिक्षकों का कैडर 1994 के नियमों द्वारा शासित होता है और याचिकाकर्ताओं का कैडर 2003 के नियमों द्वारा शासित होता है। हालाँकि, यह है कि विद्वान राज्य वकील द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कैसे 22 जुलाई, 2005 के संशोधन की आवश्यकता तब पड़ी जब प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के प्रशंसनीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई सरकारी जेबीटी शिक्षक उपलब्ध नहीं था और फिर जिला परिषदों के 2003 के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान क्यों नहीं किया गया। विद्वान राज्य वकील के लिए यह उत्तर देना भी रहस्यपूर्ण बना हुआ है कि उपरोक्त उद्देश्य को केवल सरकार के विपरीत याचिकाकर्ताओं पर शर्त लगाकर कैसे प्राप्त किया जा सकता है जहां शिक्षकों को दो परिणाम देने थे जिसमें से एक अंग्रेजी के साथ बी.ए. थी और दूसरी अंग्रेजी के बिना स्नातक योग्यता थी। उनका उत्तर केवल यह था कि कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती क्योंकि सरकारी शिक्षक 1994 के नियमों द्वारा शासित होते रहेंगे और उनकी सेवा शर्तों को संरक्षित किया गया है, जिसमें उनके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह भी नहीं बताया गया कि नगर पालिकाओं में कार्यरत जेबीटी शिक्षकों के संबंध में कोई नियम क्यों नहीं बनाए गए है।

(12) विद्वान राज्य वकील ने तब यह तर्क दिया कि सरकारी जेबीटी शिक्षकों और याचिकाकर्ताओं के वेतनमान में अंतर है जहां याचिकाकर्ताओं को 5,000 रुपये का एक निश्चित वेतन और परिवीक्षा के पहले दो वर्षों के लिए 6,000 रु वेतन दिया गया था जबकि सरकारी शिक्षकों को नियुक्ति की तारीख से 4500- 7000 रु वेतनमान दिया गया

है। उन्होंने कहा है कि वे 10 अगस्त, 2005 से सरकारी कैडर में अपने स्थानांतरण की तारीख से नियमित वेतनमान के हकदार हो जाएंगे। फिर उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि याचिकाकर्ता आना चाहते हैं तो उन्हें 2003 के नियमों द्वारा परिकल्पित सरकारी जेबीटी शिक्षकों के अपने जिला परिषद कैडर से स्थानांतरण करके 1994 के नियमों के तहत नए प्रवेशकों के रूप में माना जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार इन्हें सरकारी शिक्षकों के साथ एक वर्ग मानकर विचार किया जाएगा तो दो अलग-अलग कैडर के कर्मचारियों को एक के रूप में समझा जाएगा जिसकी संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) द्वारा अनुमति योग्य नहीं है।

(13) हमने पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर सोच-समझकर विचार किया है । हमारे विचार में, निम्नलिखित दो प्रश्नों के निर्धारण की आवश्यकता होगी: –

(A) क्या याचिकाकर्ताओं को 10 अगस्त, 2005 को अधिसूचना जारी होने की तारीख से शिक्षा विभाग में नया प्रवेशकर्ता माना जा सकता है?

(B) क्या 10 अगस्त, 2005 की अधिसूचना द्वारा लगाई गई शर्त यह है कि याचिकाकर्ताओं को पांच साल की अवधि के भीतर स्नातक योग्यता हासिल करनी होगी या समाप्ति का सामना करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) का उल्लंघन है, और याचिकाकर्ताओं के अनुसार क्या 1994 के नियमों के अंतर्गत आने वाले सरकारी जेबीटी शिक्षकों के प्रति शत्रुतापूर्ण भेदभाव के लिए उठाया गया है?

(14) विवाद को सुलझाने के लिए 1994 की नियमावली और 2003 की नियमावली की तुलना करना उचित होगा. नियमों के दोनों सेट, जहां तक वे तत्काल मामले के लिए एक साथ प्रासंगिक हैं, इस प्रकार हैं:-

1994 के नियम	2003 के नियम
1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ: -** (1) इन नियमों को हरियाणा प्राथमिक शिक्षा (समूह सी) जिला कैडर सेवा नियम, 1994 कहा जा सकता है।	1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ: -** (1) इन नियमों को हरियाणा जिला परिषद प्राथमिक शिक्षा सेवा नियम, 2003 कहा जा सकता है।
3. **संख्या और चरित्र पद.-**जिला वार संवर्ग सेवा में पद शामिल होंगे जिन्हें नियमों के परिशिष्ट ए में दिखाया गया है: बशर्ते कि इन नियमों के अंदर कुछ भी ऐसा न प्रभावित हो कि सरकार का पदों की संख्या में अंतर्निहित अधिकार को जोड़ना या घटाना या को अलग-अलग पदनाम और वेतनमान पर नए पद स्थायी या अस्थायी रूप से बनाना।	3. **सेवा में पद और वेतन का उनका पैमाना**: – (1) सेवा में शामिल पदों की श्रेणी को इन नियमों के परिशिष्ट A में दिखाया गया है। (2) पदों की संख्या एवं प्रकृति सरकार के शिक्षा विभाग में निर्धारित मानदंडों के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा। शिक्षा कोड : बशर्ते कि सरकार समय-समय पर सेवा की श्रेणी और वेतनमान में स्थायी या अस्थायी रूप से बढ़ोतरी या कटौती कर सकती है।
5. **उम्र: –** कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं होगा जो 17 वर्ष से कम या 40 वर्ष की आयु से अधिक हो, या उससे पहले अगले महीने का 15वाँ दिन की अंतिम तिथि से पहले बोर्ड को आवेदन जमा या कोई अन्य	6. **आयु और शारीरिक योग्यता: -** (1) किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिसकी आयु पद के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि पर 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से

भर्ती अधिकार।	अधिक हो। बशर्ते कि इस मामले में अनुसूचित से संबंधित उम्मीदवार जातियाँ, पिछड़ा वर्ग और पूर्व- सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा ऐसी तय की जाएंगी जैसा की सरकार समय-समय पर निर्धारित करेगी।
6. **नियुक्ति प्राधिकारी: -** सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति जिले के संबंधित जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (द्वारा) बनाई जाएगी।	4. **नियुक्ति प्राधिकारी:-** सेवा के लिए सभी नियुक्तियां संबंधित आयोग के द्वारा जिला परिषद की अनुशंसा पर की जाएंगी: बशर्ते कि एक रिक्ति जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, हो सकता है उन्हे संबंधित जिला द्वारा छह महीने की अवधि के लिए भरा गया हो या जब तक आयोग द्वारा एक उम्मीदवार परिषद द्वारा अनुशंसित किया गया हो, जो भी इनमें से पहले हो, सरकार की पूर्व अनुमति के साथ।
7. **योग्यताएँ. -** सेवा में तब तक किसी भी व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह सीधी भर्ती के मामले में कॉलम 3 परिशिष्ट बी में निर्दिष्ट योग्य एवं अनुभवी न हो या उसके अतिरिक्त मामलो में परिशिष्ट बी कॉलम 4 में निर्दिष्ट हो।	9. **योग्यताएँ -** सेवा में तब तक किसी भी व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह सीधी भर्ती से अतिरिक्त मामलों में कॉलम 3 परिशिष्ट बी में निर्दिष्ट योग्य एवं अनुभवी न हो।
9. **भर्ती की विधि: –**	8. **भर्ती की विधि: –**

(1) सेवा में भर्ती बनाया जाएगा, - (ए) जूनियर के मामले में बुनियादी प्रशिक्षित शिक्षक, – (i) सीधी भर्ती द्वारा; या (ii) किसी राज्य या भारत सरकार ले अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा; (बी) xxx xxx xxx xxx (2) सभी पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर, जब तक अन्यथा प्रदान किया जाएगा और केवल वरिष्ठता द्वारा पदोन्नति का कोई अधिकार नहीं होगा।	(1) सेवा में भर्ती बनाया जाएगा, - (ए) जूनियर के मामले में प्रशिक्षित शिक्षक, – (i) सीधी भर्ती द्वारा; या (ii) किसी राज्य या भारत सरकार ले अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा; (बी) xxx xxx xxx xxx (2) सभी पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर, जब तक अन्यथा प्रदान किया जाएगा और केवल वरिष्ठता द्वारा पदोन्नति का कोई अधिकार नहीं होगा।
10. परिवीक्षा .- (1) व्यक्ति में पद पर नियुक्त किया गया सेवा परिवीक्षा पर रहेगी, दो वर्ष की अवधि के लिए, यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त और एक वर्ष, यदि नियुक्त किया गया हो अन्यथा :- (ए) xxx xxx xxx xxx (बी) xxx xxx xxx xxx (सी) xxx xxx xxx xxx (2) xxx xxx xxx xxx (3)xxx xxx xxx xxx	10. परिवीक्षा .- (1) व्यक्ति में पद पर नियुक्त किया गया सेवा परिवीक्षा पर रहेगी, दो वर्ष की अवधि के लिए, यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त और एक वर्ष, यदि नियुक्त किया गया हो अन्यथा :- (ए) xxx xxx xxx xxx (बी) xxx xxx xxx xxx (सी) xxx xxx xxx xxx (2) xxx xxx xxx xxx (3)xxx xxx xxx xxx

11. वरिष्ठता: – (1) वरिष्ठता सेवा के सदस्यों का परस्पर संबंध उनकी किसी भी पद पर निरंतर सेवा की लंबाई द्वारा निर्धारित की जाएगी:

xxx xxx xxx xxx

(2) सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता जिले के अनुसार संधारित की जाएगी।

(3) xxx xxx xxx xxx

परिशिष्ट ए" (नियम 3 देखें)

क्रमांक	स्केल का पदनाम	वेतन
1	3	7
1.	जूनियर बेसिस	4500-125-
	प्रशिक्षित	6000- EB
	अध्यापक	125-7000

परिशिष्ट बी" (नियम 7 देखें)

क्रमांक	पद का पद नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के इलवा शैक्षणिक योग्यता और

11. वरिष्ठता: – (1) वरिष्ठता सेवा के सदस्यों का परस्पर संबंध उनकी किसी भी पद पर निरंतर सेवा की लंबाई द्वारा निर्धारित की जाएगी:

xxx xxx xxx xxx

(2) सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता जिला परिषद के अनुसार संधारित की जाएगी।

(3) xxx xxx xxx xxx

परिशिष्ट बी" (नियम 3 देखें)

क्रमांक	स्केल का पदनाम	वेतन
1.	जूनियर बेसिस	4500-125-
	प्रशिक्षित	6000- EB
	अध्यापक	125-7000

परिशिष्ट बी" (नियम 7 देखें)

क्रमांक	पद का पद नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के इलवा शैक्षणिक योग्यता और अनुभ

			अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	कनिष्ठ आधार पर प्रशिक्षित शिक्षक	(ई) वैकल्पिक में से एक के रूप में अंग्रेजी के साथ स्नातक	Xxx xxx Xxx xxx
		वैकल्पिक विषय. बशर्ते कि वे व्यक्ति जो पहले से ही हैं 10+2 के बाद जेबीटी कर रहा होगा, गा 2 की अवधि के लिए पात्र साल, ऐसे 10+2 व्यक्ति, यदि भर्ती किया जाता है,	

			व, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षक	(ई) बेसिक शिक्षा बोर्ड हरियाणा से 10+2 या बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष. हरियाणा शिक्षा विभाग से दो साल का जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स या डिप्लोमा इन एजुकेशन ट्रेनिंग कोर्स	Xxx xxx

		तो क्या उसे इसकी आवश्यकता होगी की शर्त का 5 वर्ष की भीतर अवधि अनुपालन करें भीतर स्नातक उत्तीर्ण करना. से दो वर्षीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स या डिप्लोमा-इन-एजुकेशन ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण हरियाणा शिक्षा विभाग या इसके समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त हरियाणा	

		उत्तीर्ण या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त हरियाणा सरकार द्वारा 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बाल मनोविज्ञान एवं व्यवहार में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ज्ञान तक हिन्दी का मैट्रिक मानक टिप्पणी : (i) वरीयता होगी को दिया जाए उम्मीदवार जो काबू करना का ज्ञान उर्दू तक मध्य मानक के पदों के लिए	

		सरकार विशेष के साथ बाल मनोविज्ञान में प्रशिक्षण और व्यवहार तक के बच्चे का (iii) तक हिन्दी का ज्ञान मैट्रिक मानक. टिप्पणी : (i) मेवात क्षेत्र के लिए जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों के लिए मिडिल स्टैंडर्ड तक उर्दू का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।	

		जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए गुड़गांव और फ़रीदाबाद. (ii) पेशेवर प्रशिक्षण डिप्लोमा या प्रमाणपत्र द्वारा सम्मानित किया गया कोई भी राज्य, बोर्ड या विश्वविद्यालय के अलावा अन्य हरयाणा शिक्षा विभाग को मिलेगी पहचान केवल यदि यह डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है पहचाना	

		चयनित होने पर ऐसे उम्मीदवार केवल मेवात क्षेत्र में ही सेवा देंगे। (ii) हरियाणा शिक्षा विभाग के अलावा किसी भी राज्य, बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया व्यावसायिक प्रशिक्षण डिप्लोमा या प्रमाणपत्र केवल तभी मान्यता प्राप्त होगा जब यह डिग्री या डिप्लोमा	

		गया हरियाणा सरकार द्वारा.	

		या प्रमाणपत्र हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।			
		125-7000			

***संशोधन के अनुसार, - शिक्षा विभाग हरियाणा के माध्यम से अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 7/कां./अनुछेद 309/2005, दिनांक 22 जुलाई, 2005, हरियाणा सरकार के राजपत्र एल.एस. भाग-III, दिनांक 22 जुलाई, 2005 पृष्ठ 289-90) में प्रकाशित।**

(15) उपर्युक्त नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि नियमों के दोनों सेट योग और सार में समान हैं। नियमों के दोनों सेटों के तहत जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और उनकी नियुक्ति का तरीका समान है यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी वही है। केवल उनके वेतनमान के संबंध में एक मामूली अंतर है। जिला परिषद/नगरपालिका समितियों के जेबीटी शिक्षक पर लागू 2003 के नियमों के तहत, एक जेबीटी शिक्षक को दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है और परिवीक्षा के पहले वर्ष के दौरान उसे 5000 रुपये प्रति माह और परिवीक्षा के दूसरे वर्ष के लिए 6000 रु. प्रति माह का समेकित वेतन दिया जाता है। इसके बाद, उन्हें 4500- 7000 रुपये प्रति माह समान वेतनमान मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए, हम पाते हैं कि सामग्री और सार में, सरकारी जेबीटी शिक्षक और जिला परिषद जेबीटी शिक्षक उनकी योग्यता, नियुक्ति के तरीके और वेतनमान में किसी भी महत्वपूर्ण अंतर के बिना लगभग समान हैं।

(16) याचिकाकर्ताओं को 30 मार्च, 2001 की अधिसूचना में की गई घोषणा के आधार पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जिला परिषद में नियुक्त किया गया था जिसके तहत सरकारी जेबीटी शिक्षकों का गठन कम होते कैडर जैसा कि कक्षा V के अवलोकन में स्पष्ट है, अधिसूचना के नियम और शर्तों के अनुसार किया जाना था। पूर्वकथित अधिसूचना जिस में जेबीटी शिक्षकों को घटता कैडर घोषित किया गया था, उसे 10 अगस्त, 2005 की अधिसूचना द्वारा रद्द कर दिया गया जैसा कि अधिसूचना के खंड 3 से स्पष्ट है। दूसरे शब्दों में, जिला परिषदों के कार्यकाल के दौरान सरकारी जेबीटी शिक्षकों के घटते कैडर में जो रिक्तियां आई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्राथमिक विद्यालयों में इन रिक्त पदों पर प्रभारियों की 2003 के नियमों के तहत नियुक्ति की जाएगी। उपरोक्त 10 अगस्त, 2005 की अधिसूचना के आधार पर घटते कैडर को अब 'रद्द' कर दिया गया है। यह स्वीकृत स्थिति है कि सरकारी जेबीटी शिक्षक और 2003 के नियमों के तहत जिला परिषदों द्वारा भर्ती किए गए शिक्षक दोनों विनिमेय थे और समान कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। इसलिए, यह कि जिला परिषद जेबीटी शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों से अलग वर्ग मानने का प्रावधान और सरकारी शिक्षकों की तुलना में उनके साथ अलग व्यवहार करके शत्रुतापूर्ण भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा।

(17) आगे यह भी कहा गया कि जिला परिषद जेबीटी शिक्षक और सरकारी जेबीटी शिक्षक में वरिष्ठता को लेकर कोई विवाद नहीं हो सकता, चूँकि पूर्व को 2004 में सेवा में शामिल किया गया था जबकि सरकारी जेबीटी शिक्षकों को अधिसूचना दिनांक 30 मार्च, 2001 (पी 1) जारी होने से पहले विभिन्न दिनाकों पर उनकी सेवाएँ जिला परिषदों को हस्तांतरित करने के लिए, सेवा में शामिल किया गया था।

(18) उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में इसकी आवश्यकता को माना गया है की है एक वर्ग के कर्मचारियों को नये प्रवेशकर्ता के रूप में

मानना उनकी परस्पर वरिष्ठता से संबंधित विवाद के कारण उन्हें दूसरे वर्ग में विलय करते हुए, उस संवर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए ऐसी कार्रवाइयों को बरकरार रखा गया है, जिसमें अन्य कर्मचारियों को विलय करने की मांग की गई थी। उस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **गुजरात राज्य *बनाम* सी.डी. देसाई**[2] के मामले में निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। **हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंप्लाइज यूनियन उ.प्र. और अन्य *बनाम* सुधीर कुमार शर्मा एवं अन्य**[3] के मामले में, समान कर्तव्य निभाने वाले विभिन्न उप-संवर्गों के एकीकरण को बरकरार रखा गया। यह पाया गया कि शुरुआत से ही कर्मचारियों की तीन श्रेणियां हुआ करती थीं जहां कई मीटर रीडर को सब-स्टेशन में या स्विचबोर्ड के काम में आदान-प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था। मीटर रीडर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित मीटरों पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते पाये गये-, स्विच बोर्ड अटेंडेंट और सब-स्टेशन ऑपरेटरों को सब-स्टेशन या स्विचबोर्ड पर समान कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक था। उपरोक्त आधार पर तीनों पदों को एक कैडर में विलय करने के नियम को बरकरार रखा गया।

(19) फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि ऐसे मामलों में, विभिन्न पदों के कार्य की समान प्रकृति पर जोर दिया जाना चाहिए, न कि उनके शीर्षक पर। वर्तमान मामले में, तथ्य और भी अधिक स्पष्ट हैं क्योंकि 2003 के नियमों के तहत जिला परिषदों द्वारा भर्ती किए गए जेबीटी शिक्षकों को उनके साथ मिलकर काम करना था जिनका सरकारी जेबीटी शिक्षक से 2001 में 1994 के नियमों के तहत जिला परिषद में तबादला हुआ था और उनकी भर्ती की गई थी। पद और कार्य दोनों समान थे।

(20) यह उल्लेख करना और भी उचित होगा कि जब से कैडर कम होना शुरू हुआ, तब से इसकी भरपाई सरकारी विभागों के बजाय जिला परिषदों के तत्वावधान में समान भर्ती एजेंसियों द्वारा समान जेबीटी शिक्षकों

---

[2] 1974 (1) S.C.C. 188
[3] 1998 (6) S.C.C. 706

की भर्ती से की गई है। हम आगे पाते हैं कि जब 30 मार्च, 2001 को प्राथमिक विद्यालयों को जिला परिषदों में स्थानांतरित किया गया था, तो सरकारी जेबीटी शिक्षकों की सेवा शर्तों को 30 मार्च, 2001 की अधिसूचना द्वारा संरक्षित किया गया था, क्योंकि उन सरकारी शिक्षकों की भर्ती 1994 के नियमों के तहत की गई थी। हालाँकि, उपरोक्त अधिसूचना को 'रद्द' करते हुए, सरकार उन कारणों से जिला परिषद जेबीटी शिक्षकों को कोई सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। सरकारी जेबीटी शिक्षक और जिला परिषद शिक्षक क दूसरे के साथ अलग व्यवहार करने के लिए कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिखाते हैं। इसलिए, उन्हें नए प्रवेशकों की स्थिति में रखना और उन्हे जिला परिषद में प्रदान की गई पिछली सेवा का लाभ दिए बिना उन्हें नए प्रवेशी मानने की शर्त कायम नहीं रखी जा सकती।

(21) हमने बार-बार विद्वान राज्य वकील से यह बताने के लिए कहा कि 22 जुलाई, 2005 (आर-1) के संशोधन में जेबीटी शिक्षक को वैकल्पिक/वैकल्पिक विषयों में से एक के रूप में अंग्रेजी के साथ स्नातक होने की आवश्यकता को पुन: स्थानांतरण से लगभग 18 दिन पहले 1994 के नियमों में क्यों शामिल किया गया था जब 10 अगस्त, 2005 को विशेष रूप से सभी जेबीटी शिक्षकों को उनकी सेवा शर्तों के साथ 30 मार्च, 2001 को पहले ही जिला परिषदों में स्थानांतरित कर दिया गया था और उनके कैडर को घटते कैडर के रूप में घोषित किया गया था। जब 10 अगस्त, 2005 को संशोधन किया गया था तब 1994 के नियमों के अधीन होने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान, उपरोक्त सरकारी जेबीटी शिक्षक संवर्ग में कोई भर्ती नहीं की जा सकी थी। विद्वान राज्य वकील इसके अलावा कोई भी प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दे सके यह बताते हुए कि अनुभव के आधार पर और कक्षा- I से अंग्रेजी को एक विषय के रूप में शुरू करने के बाद, प्राथमिक शिक्षकों को एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ स्नातक की उपाधि प्रदान की गई। केवल 22 जुलाई, 2005 को संशोधन (आर-1) में हम पाते हैं कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण पूरी तरह से अस्वीकार्य है क्योंकि यदि उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए

अंग्रेजी के साथ स्नातक की योग्यता शुरू की गई थी, तो उस स्तर पर इसे 2003 के नियमों में पेश किया जाना चाहिए था क्योंकि जेबीटी शिक्षकों के रूप में एकमात्र श्रेणी बची हुई है जिसमें 2003 के नियमों के तहत भर्ती होनी थी। उस स्तर पर, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था है कि इस तरह के संशोधन से कुछ हासिल होने की संभावना है तथा इसका उद्देश्य यह था कि 1994 के नियमों के तहत भर्ती किए गए सभी सरकारी शिक्षकों को 30 मार्च, 2001 (पी-एल) की अधिसूचना द्वारा जिला परिषदों में स्थानांतरित कर दिया गया था और उनके कैडर को घटते कैडर के रूप में घोषित किया गया था। एकमात्र निष्कर्ष जिस पर पहुंचा जा सकता है वह यह है कि 1994 के नियमों में संशोधन जिला परिषद जेबीटी शिक्षकों पर लागू होने की आशंका से किया गया था, जिन्हें कार्यभार ग्रहण करना था। इस तरह के संशोधन का उस स्तर पर कोई अन्य उद्देश्य नहीं था।

(22) आगे यह कहा गया कि, अनुच्छेद 14 और 16(1) के आधार पर, सरकारी जेबीटी शिक्षकों पर इसे लागू किए बिना याचिकाकर्ताओं पर अंग्रेजी के साथ स्नातक उत्तीर्ण करने की शर्त लगाना उचित नहीं होगा। यह मानना सामान्य है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत, वर्गीकरण को उचित बनाने के लिए दो शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है, अर्थात् (1) वर्गीकरण को एक समझदार अंतर पर स्थापित किया जाना चाहिए जो एक साथ समूहीकृत व्यक्तियों या चीजों को समूह से बाहर कर दूसरों से अलग करता है। और (2) इस तरह के अधिनियम द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु के लिए अंतर का तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। जब हमने समानता के उपरोक्त शास्त्रीय सिद्धांत को आधुनिक के मुकाबले लागू किया तो ई.पी., रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य[4] में निर्धारित अवधारणा, वर्तमान मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ कि वर्गीकरण को केवल एक स्पष्ट अंतर पर कायम रखा जा सकता है जिन्हे जिला परिषद जेबीटी शिक्षक और सरकारी जेबीटी शिक्षक को दो अलग-अलग कैडर से संबंधित करता हैं। हालाँकि, उस भ्रांति को हमने पहले ही निष्कर्षों को दर्ज करके स्पष्ट कर

[4] (1974) 4 S.C.C. 3

दिया है कि वास्तव में अलग-अलग कैडरों के तहत जेबीटी शिक्षकों के दोनों समूहों की पहचान करना गलत है, जो एक ही हैं। उत्तरदाताओं द्वारा बताए गए वर्गीकरण को उचित ठहराने वाला एकमात्र अन्य कारण यह है कि स्नातक स्तर पर अंग्रेजी का विषय आवश्यक पाया गया है क्योंकि एक विषय के रूप में अंग्रेजी को कक्षा-1 से पेश किया गया है। यदि ऐसा है तो इसे जिला परिषद जेबीटी शिक्षकों जैसे कि याचिकाकर्ताओं और सरकारी जेबीटी शिक्षकों के लिए लागू करना समझ से परे है। ऐसा विभेदीकरण का प्राप्त की जाने वाली वस्तु से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं होता है। तथ्यों पर, अनुलग्नक पी-4 में दिए गए याचिकाकर्ताओं के विवरण से हमें पता चलता है कि उनमें से कुछ को छोड़कर बड़ी संख्या में याचिकाकर्ता पहले से ही स्नातकोत्तर और स्नातक हैं। किसी भी मामले में, जब याचिकाकर्ताओं को 10 अगस्त, 2005 (पी-5) की अधिसूचना के अनुसरण में सेवा में नए प्रवेशी के रूप में नहीं माना जा सका, तो उन्हें संशोधन दिनांक 22 जुलाई, 2005 (आर-1) में नियुक्ति की तारीख से बहुत पहले वर्ष 2004 में नियुक्त माना जाएगा। । इसलिए, उपरोक्त संशोधन पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।

(23) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि खंड I(i) और 10 अगस्त, 2005 की अधिसूचना के 6(i) (आर 2) अनुचित, भेदभावपूर्ण हैं और इसके द्वारा इन्हें संविधान के दायरे से बाहर घोषित किया जाता है। तदनुसार, उत्तरदाताओं को निर्देश जारी किया जाता है कि वे धाराएं याचिकाकर्ताओं और अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों के खिलाफ लागू न करे। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को वैकल्पिक/अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ स्नातक डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी और न ही उन्हें 1994 नियमावली के तहत शिक्षा विभाग में प्रतिवादी द्वारा नया शामिल माना जाएगा ।

(24) रिट याचिकाएँ तदनुसार स्वीकार की जाती हैं। हालाँकि, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के कारण, हम कोई लागत नहीं लगाते हैं।

रुबेश कुमार और अन्य *बनाम* हरियाणा की स्थिति और अन्य

(समक्ष एम.एम. कुमार और एम.एम.एस. बेदी, जे जे.)

नोट: निस्तारित सिविल रिट याचिकाओं का विवरण

क्रमांक	**सी डब्ल्यू पी संख्या**	**पार्टियों के नाम**	**याचिकाकर्ता के लिए वकील**
1.	13677 ऑफ 2005	रविंदर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	श्री अनुराग गोयल
2.	13789 ऑफ 2005	मनमोहन सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	श्री अनुराग गोयल
3.	14130 ऑफ 2005	दिनेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	श्री अनुराग गोयल
4.	15364 ऑफ 2005	मंजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	श्री अनुराग गोयल
5.	14319 ऑफ 2005	कृशन कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	श्री डी. एस. पटवालिया
6.	14096 ऑफ 2005	सुनील कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	श्री दीपल बालयन
7.	13757 ऑफ 2005	दिनेश कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	श्री जगबीर मलिक
8.	14493 ऑफ 2005	धरमविर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	श्री जगबीर मलिक
9.	13969 ऑफ 2005	अनिल कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	श्री एल. आर. नंदलाल
10.	13999 ऑफ 2005	नरेश कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	श्री मिनदरजीत यादव
11.	14027 ऑफ 2005	बजरंग लाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	श्री प्रवीण भाड़ू
12.	14333 ऑफ 2005	नर्सी सिंह और अन्य	श्री प्रवीण भाड़ू

		बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	
13.	13634 ऑफ 2005	संजय कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	श्री राम कुमार मलिक
14.	13758 ऑफ 2005	बलिन्दर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	श्री राम कुमार मलिक
15.	13768 ऑफ 2005	नवीन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	श्री राम कुमार मलिक
16.	13989 ऑफ 2005	गुरतेज सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	श्री राम कुमार मलिक
17.	14099 ऑफ 2005	राजेश कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	सुश्री अल्का चतरथ
18.	14307 ऑफ 2005	देवी शरण और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	सुश्री प्रोमिला नैन
19.	13339 ऑफ 2006	केसर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	सुश्री रूपिन्दर क. ठिंद

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

अवंतिका
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा